न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

/258

1. अन्नपूर्णा
2. गायत्री
3. शांति पुत्रियाँ गोपी बल्लभ जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम आतरदा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

––अपीलान्ट

बनाम

1. सुरेन्द्र कुमार
2. ओमप्रकाश पिसरान गोपी बल्लभ जाति ब्राह्मण निवासीगण ग्राम आंतरदा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
3. रामनिवास आत्मज श्री सुन्दरा जाति जाति मीणा निवासी ग्राम संग्रामगंज तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
4. राजस्थान सरकारर जरिये राजकीय अभिभाषक, कोटा ।

––रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :– 1. श्री नरेन्द्र गुप्ता, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री बृजराज शर्मा, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 20.02.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25.04.2016 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 एवं 188 के अन्तर्गत ग्राम आंतरदा तहसील नैनवा की आराजी कुल किता 10 रकबा 62 बीघा 01 बिस्वा भूमि के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी में वादीगण व प्रतिवादीगण क्रम 1 व 2 का बराबर–बराबर हिस्सा 1/5 – 1/5 है । भूमि पर वादीगण व प्रतिवादीगण क्रम 1 व 2 संयुक्त रूप से खेती काश्त करते हैं । उक्त भूमि का पक्षकारान के मध्य अभी तक विधिवत विभाजन नहीं हुआ है ।

3. अतः वादग्रस्त आराजी का वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य बराबर–बराबर विभाजन किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में उनका नाम बतौर खातेदार पृकि–पृथक से इन्द्राज करवाया जावे तथा प्रत्येक सहखातेदार का भूमि में हिस्सा 1/5 है तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द

[illegible] वादीगण के हिस्से को बिना विभाजन करवाये प्रतिवादी कम 3 को [illegible] न ही प्रतिवादीगण वादीगण के हिस्से की भूमि पर जबरदस्ती कब्जा कर [illegible] करें ।

[illegible] 3 ने जवाबदावा पेश कर वादी द्वारा अपने वादपत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार [illegible] और वादी का वादपत्र खारिज करने का निवेदन किया ।

[illegible] अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिकी दिनांक 25.04.2016 के द्वारा वादी का वाद वादपत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि आराजी खसरा नम्बर 125 रकबा 10 बीघा 01 बिस्वा की सीमा तक खारिज करते हुए शेष भूमि के सम्बन्ध में वादी का वाद स्वीकार करते हुए पक्षकारान के मध्य प्राथमिक डिकी पारित करने का आदेश पारित किया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिकी दिनांक 25.04.2016 से व्यथित होकर वादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी निरस्त करने का निवेदन किया ।

7. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत वाद आराजी खसरा नम्बर 125 की 10 बीघा 01 बिस्वा भूमि के सम्बन्ध में खारिज करने में त्रुटि की है । प्रस्तुत वाद में वादगस्त आराजी में प्रत्येक वादीगण व प्रतिवादी कम 1 व 2 का 1/5–1/5 हिस्सा दर्ज है । अधीनस्थ न्यायालय की वादपत्र में वर्णित उक्त समस्त आराजी के सम्बन्ध में विभाजन आराजी का दावा डिकी करना चाहिए था । प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट कम 1 व 2 द्वारा विकय की गई ग्राम आतंरदा की आराजी खसरा नम्बर 125 की 10 बीघा 11 बिस्वा को भी विभाजन में शामिल करते हुए उक्त भूमि विभाजन में रेस्पोडेन्ट कम 1 व 2 के हिस्से में देकर उन्हें विभाजन में उक्त भूमि प्राप्त होना मानकर उक्त भूमि रेस्पोडेन्ट कम 1 व 2 को प्राप्त होने वाली भूमि में समायोजित करते हुए उक्त भूमि रेस्पोडेन्ट कम 3 को विभाजन में दिया जाना चाहिए था । वादग्रस्त आराजी में प्रत्येक वादी अपीलान्ट का 1/5–1/5 हिस्से है तो जो पूर्ववत रहता है । अधीनस्थ न्यायालय को अपने निर्णय में उल्लेख करना चाहिए था कि प्रत्येक वादी अपीलान्ट 12 बीघा 08 बिस्वा भूमि प्राप्त करने के अधिकारी हैं । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एंव प्राथमिक डिकी पारित की है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव प्राथमिक डिकी दिनांक 25.04.2016 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । प्रस्तुत प्रकरण में आराजी खसरा नम्बर 125 को रेस्पोडेन्ट कम 1 व 2 द्वारा पूर्व में दिनांक 20.04.1993 को रेस्पोडेन्ट कम 03 को बेचान कर बेचान की राशि प्राप्त चुका है । जो स्वीकार योग्य तथ्य है । प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट सगे भाई बहिन हैं । आराजी खसरा नम्बर 125 के सम्बन्ध में सिविल द्वारा निर्णय पारित किया हुआ है जिसमें प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट कम 1व 2 द्वारा रेस्पोडेन्ट कम 3 के पक्ष में रजिस्ट्री करवाने का निर्णय पारित किया हुआ है । अधीनस्थ न्यायालय

जवाबदावा के आधार पर वाद–विवादक बिन्दु कायम कर प्रत्येक वाद–विवादक बिन्दु की साक्ष्य आदि ली जाकर प्रत्येक वाद–विवादक बिन्दु पर अपना स्पष्ट निष्कर्ष हुए निर्णय एवं डिक्री पारित की हैं जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है। [illegible] अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25.04.2016 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया ।

11. प्रस्तुत प्रकरण में आराजी खसरा नम्बर 125 रेस्पोडेन्ट कम 1 व 2 द्वारा रेस्पोडेन्ट कम 3 को पूर्व में बेचान किया जा चुका है । उक्त आराजी के सम्बन्ध में माननीय सिविल न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया हुआ है जिसमें रेस्पोडेन्ट कम 1 व 2 द्वारा रेस्पोडेन्ट कम 3 के पक्ष में रजिस्ट्री करवाई जानी है । प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारान अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट सगे भाई बहिन हैं । प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त भूमि आराजी खसरा नम्बर 125 को छोडते हुए शेष भूमि पर पक्षकारान को उनके हिस्से अनुसार विभाजन की प्राथमिक डिक्री पारित की है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि किया जाना प्रतीत नहीं होता है ।

12. हमने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय ने दावा एवं जवाबदावा के आधार पर वाद–विवादक बिन्दु कायम कर प्रत्येक वाद–विवादक बिन्दु पर अपना स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए उक्त निर्णय एवं डिक्री पारित की है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि किया जाना प्रतीत नहीं होता है । हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री से सहमत हैं और उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायहित में उचित नहीं समझते हैं ।

13. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25.04.2016 बहाल रखा जाता है ।

14. निर्णय आज दिनांक 20.02.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

Judl/Govt.
Parrt 1V - B

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास पंकज कुमार ओझा, आर.ए.एस.

...ल संख्या : 16 / 258

1. अन्नपूर्णा
2. गायत्री
3. शांति पुत्रियॉं गोपी बल्लभ जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम आतरदा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

––अपीलार्थी

बनाम

1. सुरेन्द्र कुमार
2. ओमप्रकाश पिसरान गोपी बल्लभ जाति ब्राह्मण निवासीगण ग्राम आंतरदा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
3. रामनिवास आत्मज श्री सुन्दरा जाति जाति मीणा निवासी ग्राम संग्रामगंज तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
4. राजस्थान सरकारर जरिये राजकीय अभिभाषक, कोटा ।

––प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25.04.2016 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी ।

अन्तर्गत वाद संख्याः 19 / दावा / 2005

1. अन्नपूर्णा
2. गायत्री
3. शांति पुत्रियॉं गोपी बल्लभ जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम आतरदा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

––वादी

बनाम

[illegible] कुमार
2. [illegible]प्रकाश पिसरान गोपी बल्लभ जाति ब्राह्मण निवासीगण ग्राम आंतरदा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
3. रामनिवास आत्मज श्री सुन्दरा जाति जाति मीणा निवासी ग्राम संग्रामगंज तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
4. राजस्थान सरकारर जरिये राजकीय अभिभाषक, कोटा ।

——प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25.04.2016 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात...** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 20.02.2018 को बहाजरी अपीलार्थी की ओर से अभिभाषक श्री नरेन्द्र गुप्ता एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से अभिभाषक श्री बृजराज शर्मा के उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25.04.2016 बहाल रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने हैं।

यह डिक्री आज तारीख 20.02.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा